पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	637–649	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	299–316	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	21–24	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	461–486	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

21 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 523 ई0प0–28344 / VII-A-2/2023/02(4)2022–राज्यपाल, औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5 / ई0प0–2844 / दिनांक 31 जनवरी, 2023 के क्रम में राज्य में लॉजिस्टिस्क के क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लॉजिस्टिस्क नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश / परिचालन दिशानिर्देश बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थातः–

उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति–2023 के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश

मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया

राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नवीन और विद्यमान उद्योगों को समर्थन प्रदान करने, मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, विद्यमान लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण, रोजगार के अवसरों के सृजन, लॉजिस्टिक्स सूचकांक में राज्य की रैंकिंग को बढ़ाने तथा वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–85 / ई0प0–28344 / VII-A-2/2023/02(4)2022 दिनांक 31 जनवरी, 2023 से उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति–2023 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के क्रियान्वयन एवं नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु योजना के दिशानिर्देश / मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया निम्नवत् हैं:

1. दिशानिर्देशों की अवधि:

यह दिशानिर्देश उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के प्रवृत्त रहने अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये जाने की सीमा तक वैध होंगे।

2. दिशानिर्देशों का अधिकारिता क्षेत्र

इन दिशानिर्देशों का अधिकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

3. दिशानिर्देशों के परिचालन / क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत विभाग:

दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन / परिचालन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग / उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड उत्तरदायी होगा।

4. परिभाषा:

(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस दिशा–निर्देशों में:–

क. अधिनियम से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है।

ख. प्राधिकृत समिति से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित जिला / राज्य प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है।

ग. प्राधिकृत अधिकारी से उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु उद्योग विभाग के स्तर पर नामित अधिकारी अभिप्रेत है।

घ. राज्य स्तरीय समिति से प्रस्तर–9 में वित्तीय प्रोत्साहनों के आवेदनों पर निर्णय हेतु गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति, 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उस नीति में है,

5. वित्तीय प्रोत्साहनः

क. सामान्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए पूंजीगत उपादानः

i. रू. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (सब्सिडी) की अधिकतम सीमा रू. 8 करोड़ होगी।

ii. रू. 50 करोड़ से अधिक और 150 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (सब्सिडी) रू. 24 करोड़ तक सीमित होगी।

iii. रू. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (सब्सिडी) रू. 32 करोड़ तक सीमित होगी।

क्र.स.	अर्ह गतिविधियां/क्रियाकलाप	मानदण्ड	प्रोत्साहन
i.	गोदाम की (वेयरहाउसिंग) सुविधायें	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी+ और सी) में न्यूनतम रू. 2.5 करोड़ निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में गोदाम की सुविधा और गैर–पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी–डी) के लिए रू. 5 करोड़ के निवेश के साथ न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
ii.	ट्रक टर्मिनल	रू. 5 करोड़ के निवेश और 45,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल में सीमित ट्रक टर्मिनल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
iii.	परिवहन/ट्रक मालिक/फ्लीट अपरेटर/एग्रीगेटर	कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन की खरीद (एक्स–शोरूम कीमत)।	बड़े पर 10 प्रतिशत और छोटे और मध्यम ट्रकों पर 15 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख
iv.	कोल्ड स्टोरेज	5,000 वर्ग फुट का न्यूनतम क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रदान की जाने वाली सहायिकी (सब्सिडी) के अतिरिक्त दिया जायेगा।
v.	बुनियादी सुविधायें	बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकसित आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधाएं, जल वितरण और जल वृद्धि सुविधाएं, सीवेज और जल निकासी लाइनें, अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं, फायर टेंडर व्यवस्था, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

टिप्पणीः उपरोक्त सभी गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए पूंजीगत उपादान की अधिकतम मात्रा/सीमा क्रम संख्या– 5(क)(i), (ii), (iii) में अंकित परियोजना लागत के अध्यधीन रहेगी।

ख. विशेष लॉजिस्टिक्स इकाईयों के लिए पूंजीगत उपादानः

i. रू. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रू. 8 करोड़ होगी।

ii. रू. 50 करोड़ से अधिक और रू. 150 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रू. 24 करोड़ होगी।

iii. रू. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रू. 32 करोड़ होगी।

क्र.सं.	अर्ह गतिविधियां/क्रियाकलाप	मानदण्ड	प्रोत्साहन
i.	लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी/ड्राई पोर्ट/एयर कार्गो/इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क)	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी+ और सी) में 05 एकड़ से अधिक और गैर–पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी–डी) के लिए 10 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी/पीपीपी/जेवी मोड के आधार पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए गए।	क(i) से क(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।
ii.	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कम से कम 18 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा।	क(i) से क(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।

टिप्पणीः उपरोक्त सभी गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए पूंजीगत उपादान की अधिकतम मात्रा/सीमा क्रम संख्या– 5(क)(i), (ii), (iii) में अंकित परियोजना लागत के अनुरूप रहेगी।

ग. कौशल विकास प्रोत्साहनः

i. रू. 25,000 का एकमुश्त समर्थन या प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, संचालन की शुरुआत की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में अधिकतम 100 कर्मचारियों तक प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। कौशल विकास प्रोत्साहन (नए लॉजिस्टिक्स प्रदाता के लिए– सामान्य या विशेष) सहायता के लिए प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 1 माह से अधिकतम 3 माह होगी। कौशल विकास संस्थान को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/सरकार/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के तहत मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

टिप्पणीः

i. ये प्रोत्साहन सभी नए और मौजूदा उद्योगों/लॉजिस्टिक इकाइयों, जिनका विस्तार हो रहा है, को अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार नियमित रूप से इस नीति की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसे और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

ii. टर्मिनल ऑपरेटरों को टर्मिनल के भीतर एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखना होगा, जिसमें नियमित जांच की जाएगी और ऐसे टर्मिनल, जो भोजन और स्वच्छ आवास पर्यावरण के अनुरूप होने में विफल रहते हैं, का रजिस्ट्रीकरण बंद कर दिया जाएगा।

6. पात्रता:

(i) एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और किसी भी अन्य कानूनी इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत संस्था/संस्थान इस नीति के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

(ii) केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल की परियोजनाओं को भी नीति में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

(iii) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की इकाइयाँ, जो किसी अन्य नीति के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं, वे इस नीति में उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ समेकित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

(iv) प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में विद्यमान औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण की दी गयी परिभाषा के अनुरूप विद्यमान इकाई के मौजूदा पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश किया जाना आवश्यक होगा।

(v) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाई ही नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए पात्र होंगी।

7. योजनान्तर्गत पंजीकरण एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया:

**आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समयसीमा उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा–10 के अन्तर्गत निर्धारित समयसीमा के अनुसार होगी।*

प्रथम चरण:

i. उत्तराखण्ड एकल खिड़की व्यवस्था (www.investuttarakhand.uk.gov.in) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) पर अपेक्षित अभिलेखों के साथ आवेदन।

ii. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र तथा अपलोडेड अभिलेखों के आधार पर योजनान्तर्गत अर्हता की जांच के लिए अभिलेखों का सत्यापन।

iii. आवेदन पत्र तथा अभिलेखों के सम्परीक्षण पर सत्यापनकर्ता यदि कोई कमी पाता है, तो कमियों के निराकरण के लिए सत्यापनकर्ता आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

iv. अर्हता की जांच के उपरान्त सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र का अग्रसारण।

v. आवेदन पत्र की संवीक्षा/विश्लेषण के पश्चात् एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत इकाई के पंजीकरण आवेदन पत्र को जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के सम्मुख विचार/निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना।

vi. जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र ही नीति के अंतर्गत पंजीकरण माना जायेगा।

द्वितीय चरण:

i. अनुमोदित CAF ID से प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति दावे के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्ररूप पर वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन।

ii. महानिदेशक, उद्योग द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया के अनुसार दावों का परीक्षण।

iii. विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा इकाई का स्थलीय निरीक्षण।

iv. विभाग द्वारा नामित अधिकारी की अनुशंसा/निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावे को राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु समिति के सदस्य सचिव को अग्रसारण।

v. सदस्य सचिव द्वारा आवेदन पत्र को विचार/निर्णय के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना।

vi. समिति के निर्णय के उपरान्त आवेदक को दावे की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना का प्रेषण।

vii. स्वीकृत अनुदान राशि का संवितरण बजट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

8. वित्तीय प्रोत्साहन दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया एवं अपेक्षित अभिलेख/प्रमाण पत्रः

क्र.सं.	प्रोत्साहन जारी करने का चरण	चरण	चेकलिस्ट मॉडेलिटी (निवेशक द्वारा प्रस्तुत)
i.	प्रथम किश्त	भूमि क्रय के समय 10 प्रतिशत की पहली किश्त।	1. कंपनी निगमन प्रमाणपत्र। 2. लैण्ड सेल डीड/लीज डीड। 3. चार्टर्ड एकाउंटेंट से स्वीकृत डीपीआर। 4. वित्त के साधन।
ii.	दूसरी किश्त	लॉजिस्टिक्स नीति के अधीन कुल प्रोत्साहन के 35 प्रतिशत की दूसरी किस्त यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत परियोजना पर उपयोग किया गया है।	1. बिल वाउचर्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट तथा बैंक स्टेटमेंटः प्रोजेक्ट पर किया गया खर्च। 2. प्रोजेक्ट के लिए चुकाया गया माल और सेवा कर (जीएसटी) चालान। 3. परियोजना सील के फोटो/वीडियो साक्ष्य। 4. वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्णता प्रमाण पत्र (काउंसिल ऑफ आर्कीटैक्चर से रिजस्ट्रीकृत वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के साथ)।
iii.	तीसरी किश्त	लॉजिस्टिक्स नीति के तहत कुल प्रोत्साहन के 35 प्रतिशत की तीसरी किस्त जिला उद्योग केंद्र/उद्योग निदेशालय द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की पुष्टि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समेकित सहमति और प्राधिकृत (सीसीए) जारी होने के बाद जारी की जाएगी।	1. चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्रः परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय वित्त के साधन और परियोजना लागत के 100 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है। 2. इकाई द्वारा प्रदत्त सेवाओं/व्यवसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने का अपने जीएसटीआईएन नम्बर से जारी प्रथम बीजक की प्रति। 3. जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) द्वारा जारी वाणिज्यिक संचालन प्रमाणपत्र।
iv.	चतुर्थ किश्त	लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत कुल प्रोत्साहन राशि	1. ऑडिट बुक/वार्षिक वित्तीय आख्या (रिपोर्ट) (वाणिज्यिक संचालन के 2 वर्ष पश्चात)

के 20 प्रतिशत की चौथी किस्त व्यवसायिक संचालन के 2 वर्ष बाद जारी की जाएगी।	2. प्रोत्साहन की चौथी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले से स्वीकृत मदों के लिए प्रस्तावित/मूल्यांकित/वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के आधार पर एक परियोजना लागत की पुनर्गणना की जाएगी और तदनुसार जारी की जाएगी।

9. आवेदक की अर्हता पर निर्णय तथा नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की प्रक्रिया:

i. वित्तीय प्रोत्साहन दावों की स्वीकृति के लिए निम्न समिति अधिकृत होगी:

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई/औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
3. राज्य स्तरीय बैंकर समिति के प्रतिनिधि	–	सदस्य
4. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड	–	सदस्य सचिव

ii. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य सदस्यों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है।

10. संवितरित प्रोत्साहन/सब्सिडी की वसूली:

i. लाभार्थी इकाई द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तरह की अनियमितता या तथ्यों को छुपाया गया हो, तो उद्योग निदेशालय द्वारा इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राप्त प्रत्यावेदन पर वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिए गठित समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ii. यदि कोई इकाई मिथ्या साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर लाभ प्राप्त करती है, तो उससे प्रदत्त प्रोत्साहन की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज/दण्ड ब्याज सहित राजस्व के सादृश्य वसूल की जा सकेगी।

11. नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवेदन पत्रों के प्रारूप तथा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने के लिए महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अधिकृत होंगे।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Articles 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.523/E-File-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022/Dehradun, dated July 21, 2023 for general information.

Office memorandum

July 21, 2023

No.523/E-File-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022--The implementation of the Uttarakhand Logistics Policy, 2023, Promulgated for the purpose of providing support to the logistics sector in the State, in order of the Office Memorandum No 85/E-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022, dated, January 31, 2023, of the Industrial Development Section 2, the Governor is pleased to allow to make the following guidelines/operational guidelines namely:-

Guidelines for the implementation of Uttarakhand Logistics Policy-2023 Standard Operating Procedure

To provide support to new and existing industries working in the field of logistics in the state, mainly to reduce logistics cost, strengthening of existing logistics infrastructure, generation of employment opportunities, raising the ranking of the state in logistics index and for the purpose of providing financial and non-financial incentive assistance, Government of Uttarakhand, Industrial Development Section-2's office memorandum number 85/E-file-28344/ VII-A-2/2023/02(4)/2022, dated 31st January, 2023 has promulgated the Uttarakhand Logistics Policy-2023. The guidelines/standard operating procedure of the scheme for the implementation of this policy and the admissibility of the financial incentives provided in the policy are as follows:

1. **Duration of the Guidelines:**

   These guidelines shall remain valid to the extent that the Uttarakhand Logistics Policy, 2023 remains in force or is amended by the state government.

2. **Jurisdiction of the Guidelines:**

   The jurisdiction of these guidelines shall be in the entire Uttarakhand state.

3. **Departments authorized to operate/implement the guidelines:**

   Micro, Small and Medium Enterprises Department/ Directorate of Industries, Uttarakhand shall be responsible for the implementation/operation of the guidelines.

4. **Definition:**

   (I) In these policy, unless there is anything repugrant in the subject or context:-

   a. Act means the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012.

   b. Authorized Committee means the District/State Authorized Committee constituted under Section, 3 of the Act.

   c. Authorized Officer means the designated officer at the level of Industries Department for the implementation of Uttarakhand Logistics Policy, 2023.

   d. State level committee means the committee set up to decide on the applications for financial incentives in Para, 9.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Uttarakhand logistics policy, 2023 shall have the meanings respectively assigned to the in that policy.

5. **Financial Incentives:**

a. **Capital subsidy for common logistics facilities:**

i. For project cost up to Rs. 50 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 8 crore.

ii. For project cost above Rs. 50 crore and up to Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 24 crore.

iii. For project cost above Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 32 crore.

S.No.	Eligible Activities	criteria	Incentive
i.	Warehousing facilities	Warehouse facility in 5,000 sq ft area with minimum investment of Rs 2.5 crore in hilly area (category A, B, B+ and C) and minimum 10,000 sq ft area with investment of Rs. 5 crore for non-hilly area (Category-D).	20% of the project cost
ii.	truck terminal	Truck terminal set up with an investment of Rs. 5 crore and a minimum area of 45,000 sq.ft.	20% of the project cost
iii.	Transport / Truck Owner / Fleet Operator / Aggregator	Purchase of minimum 3 trucks/small trucks/mini pickup trucks/reefer vans (ex-showroom price).	10 percent on large and 15 percent on small and medium trucks, maximum Rs. 10 lakh
iv.	Cold Storage	Minimum area of 5,000 sq.ft.	15 percent of the project cost shall be given in addition to the subsidy provided by the Central Government for cold storage.
v.	Basic Facilities	Developed infrastructure in the form of internal transport system, power lines, communication facilities, water distribution and water augmentation facilities, sewage and drainage lines, waste treatment and disposal facilities, fire tender arrangements, parking, weighing bridge, medical centre.	20% of the project cost

Note: The maximum quantity/limit of capital component for all the above activities shall be subject to the project cost mentioned in serial number-5(a)(i), (ii), (iii).

b. **Capital Subsidy for Specialized Logistics Units**

i. For project cost up to Rs. 50 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 8 crore.

ii. For project cost above Rs. 50 crore and up to Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 24 crore.

iii. For project cost above Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 32 crore.

S.No.	Eligible Activities	criteria	Incentive
i.	Logistics Park (MMLP/Dry Port/Air Cargo/Integrated Logistics Park)	Logistics Parks developed on private/PPP/JV mode basis on land more than 05 acres in hilly area (Category A, B, B+ & C) and more than 10 acres for non-hilly area (Category-D) .	Incentives as per facilities listed in a(i) to a(v)
ii.	Inland Container Depot (ICD)	The Inland Container Depot will be built over an area of at least 18 acres.	Incentives as per facilities listed in a(i) to a(v)

Note: The maximum quantity/limit of capital component for all the above activities shall be subject to the project cost mentioned in serial number-5(a)(i), (ii), (iii).

c. **Skill Development Promotion:**

i. One time support of Rs. 25,000 or the actual cost of training per person, whichever is less, shall be given as incentive up to a maximum of 100 employees over a period of 2 years from the date of commencement of operations. Skill development incentives (for new logistics provider – general or specific) The duration of training for assistance shall be minimum 1 month to maximum 3 months. The skill development institute should be recognized by National Skill Development Corporation (NSDC)/ University Grants Commission (UGC)/ Govt./ All India Council for Technical Education (AICTE).

Note:

i. These incentives shall be admissible to all new and existing industries/logistics units which are undergoing expansion. The State Government shall regularly review the progress of this policy and take necessary steps to make it more effective and result oriented.

ii. Terminal operators shall maintain a hygienic environment within the terminal, which shall be subject to regular inspection and the registration of terminals which fail to conform to the hygienic food and accommodation environment shall be de-registered.

6. **Eligibility:**

(i) Sole Proprietorship, Partnership Firm, Cooperative Society, Company, Limited Liability Partnership (LLP), Trust, Non-Governmental Organization (NGO) and institute/institutions registered as any other legal entity can avail financial incentives under this policy.

(ii) Public Undertakings of the Central or State Government or the projects of Public Private Partnership (PPP) model shall also be allowed to take advantage of the facilities provided in the policy.

(iii) Units in the logistics sector who receive financial incentives under any other policy or from any other department of the Central/State Government will not be eligible to receive the financial incentives/benefits mentioned in this policy, because a provision for integrated incentive has been made here.

(iv) According to the definition of adequate expansion of the existing industrial unit in the State's Micro, Small and Medium Enterprises Implementation Order, 2015 (as amended from time to time), additional fixed capital investment of minimum 25

percent or more in the existing capital investment of the existing unit shall be necessary.

(v) Only units registered under Uttarakhand Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) shall be eligible to claim the incentive assistance provided in the policy.

7. Process of getting registration and financial incentives under the scheme:

**The time limit for disposal of applications will be according to the time limit prescribed under Section-10 of the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act,2012.*

Phase I:

i. Under the Uttarakhand single window system (www.investuttarakhand.uk.gov.in), application by the applicant on the common application form along with the required documents.

ii. Verification of records for verification of eligibility under the scheme on the basis of application form and uploaded records by the authorized officer.

iii. If the verifier finds any deficiency on scrutiny of the application form and records, then the authorized officer can obtain clarification from the applicant for the removal of deficiencies.

iv. Forwarding of application to concerned departmental nodal officer after checking eligibility.

v. After scrutiny/analysis of the application, the unit's registration application shall be presented before the district/state authorized committee for consideration/decision under the single window system.

vi. Issue of registration under the scheme by the authorized officer after the approval of the district/state authorized committee.

Phase II:

i. Application on prescribed application form for claiming incentive/reimbursement from approved CAF ID along with required documents.

ii. Examination of claims as per standard operating procedure by an authorized officer designated by the Director General of Industries

iii. Site inspection of the unit by officer designated by the department .

iv. Along with the recommendation/inspection report of the officer nominated/authorized by the department forwarding of the claim by the authorized officer to the member secretary of the committee for being presented before the committee.

v. Submission of the application by the Member-Secretary before the Committee for consideration/decision.

vi. Dispatch of information of acceptance/rejection of claim to the applicant after the decision of the committee.

vii. The disbursement of the sanctioned grant amount shall be done on the basis of budget availability.

8. Process of acceptance/disbursement of financial incentive claims and required records/certificates:

S.no	Phase of Incentive Release	Stages	Checklist Modality(Submission by Investor)
i.	1st Instalment:	The 1st instalment of 10% at the time of Land Purchase	1. **Company Incorporation Certificate** 2. **Land Sale Deed/ Lease Deed** 3. **Approved DPR from Chartered Accountant** 4. **Means of Finance**
ii.	2nd Instalment:	The 2nd instalment of 35% of the total Incentive under the Logistic Policy shall be released after ensuring that 90% of the project cost has been utilized on the project.	1. **Bill Vouchers, Proof of Paymentsand Bank Statement:**Expenditure incurred on the project 2. **GST** challan paid for project 3. **Photo/Video** evidence of Project site 4. **Completion Certificate** by duly signed by Architect (registered with Council of Architecture having a valid registration certificate)
iii.	3rd Instalment:	The 3rd instalment of 35% of the total Incentive under the Logistic Policy shall be released only after confirming the commencement of commercial production through physical verification by the District Industries Centre / Directorate of Industries and issue of Consolidated consent & authorization (CCA) from the Pollution Control Board	1. **Chartered Accountant Certificate**– Actual expenditure incurred on the project showing the means of finances and 100% utilization of Project Cost 2. **Copy of the first invoice issued by the entity from its GSTIN number for the services provided/commencement of business activity.** 3. **Commercial Operation Certificate** issued by DIC
iv.	4th Instalment:	The 4th instalment of 20% of the total Incentive under the Logistic Policy shall be released only after 2 years of commercial operation	1. Audit book/ Annual Financial Reports (after 2years of Commercial Operation) 2. Before releasing of 4th & final instalment of Incentive a project cost shall be re-calculated based on the proposed/ appraised / actual cost, whichever is less, for the already approved items and released accordingly

9. Decision on the eligibility of the applicant and the process of approval of the financial incentives provided in the policy:

i. The following committee shall be authorized to approve the financial incentive claims:

1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, MSME/ Industrial Development, Govt. Of Uttarakhand - Chairperson
2. Principal Secretary/ Secretary, Finance or their nominated - Member

representative

3. Representative of State Level Bankers Committee - Member

4. Director General/Commissoner, Industries, uttarakhand - Member Secretary

ii. With the permission of the Chairman, other members can be invited as per the requirement.

10. Recovery of incentive/subsidy disbursed:

i. Incase of any irregularity or suppression of facts by the beneficiary unit in its application form, Directorate of Industries may issue a show cause notice to the unit and allow it to submit its representation/reply within 15 days. The decision of the committee constituted for approval of financial incentives on the representation received shall be final and binding.

ii. If any unit obtains benefits on the basis of false evidence/records, then the amount of incentive given from it can be recovered as per the revenue along with 18 percent interest/penal interest.

11. The Director General/Commissioner Industries is authorized to develop online portal and formats of applications related to the implementation of the policy.

By Order,

VINAY SHANKAR PANDEY,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/315–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 235/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Shri Anoop Singh Bhakuni is posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 236/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Hina Kousar is posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 237/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Shristi Shukla is posted as Judicial Magistrate-II, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 238/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Radha Kulshreshtha is posted as Judicial Magistrate, Tanakpur, District Champawat in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 239/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Nancy Chhabra is posted as 5th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 240/UHC/Admin.A-2/2023–Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Shaifali Chandravanshi is posted as Judicial Magistrate-III, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 241/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Sonam Rawat is posted as Judicial Magistrate-IV, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 242/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Shri Abhishek Kumar Mishra is posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 243/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Shri Jatin Mittal is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 244/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Shri Naveen Rana is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh in the vacant Court.

Note: Ms. Avantika Singh Chaudhary, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh shall continue hold Camp Court at Gangolihat, District Pithoragarh as per provisions of Notification No.208/UHC/Admin.A-2/2023 dated 25.04.2023 of the Court, until Shri Naveen Rana completes his Foundation Training.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 245/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023; Ms. Tanya Middha is posted as Judicial Magistrate, Pithoragarh in the vacant Court.

All above orders shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 07, 2023

No. 256/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 26.04.2023 to 10.05.2023.

NOTIFICATION

June 07, 2023

No. 257/XIV/a-19/Admin.A/2009--Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15.05.2023 to 24.05.2023 with permission to prefix 13.05.2023 & 14.05.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

June 07, 2023

No. 258/XIV/a-33/Admin.A/2021--Ms. Priyanshi Nagarkoti, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 01.05.2023 to 14.05.2023.

NOTIFICATION

June 07, 2023

No. 259/XIV-a-38/Admin.A/2020--Ms. Shubhangi Gupta, Civil Judge (Jr. Div.), Almora is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 20.02.2023 to 05.03.2023.

NOTIFICATION

June 08, 2023

No. 260/XIV-28/Admin.A/2008--Shri Sudhir Tomar; Judge, Family Court-II, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 08.05.2023 to 20.05.2023 with permission to prefix 07.05.2023 and suffix 21.05.2023 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

June 13, 2023

No. 264/UHC/Admin.A-2/2023--In supersession of earlier Notification No. 208/UHC/Admin.A-2/2023 dated 25.04.2023, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is directed to hold Camp Court at Gangolihat, District Pithoragarh for a week in every month until Shri Naveen Rana Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh resumes his duties after completion of foundation training or till further orders ***whichever is earlier.***

By Order of the Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 14, 2023

No. 265/UHC/Admin.A/2023--

"Standard Operating Procedure for the Investigation Section of the Vigilance Cell, High Court of Uttarakhand"

The High Court of Uttarakhand Vigilance Rules, 2019, as amended vide Notification No. 250/UHC/Admin.A/2023 Dated 06 June, 2023 (As approved by the Government of Uttarakhand vide letter no. 173/XXXVI-A-1/2023-345/2019 Nyay Anubhag-1 Dehradun: Dated 24.05.2023), provides for the establishment of an Investigation Section in the Vigilance Cell.

Composition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, as provided in Rule 6 is as under:

1. *One Vigilance Officer (of SSP/SP level, on deputation from police department, having minimum 8 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID.*

2. *Two Inspectors of Police having minimum 15 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID. One may have considerable service in Garhwal Region and another in Kumaon Region.*
3. *One Head Constable having minimum 10 years of service.*
4. *Three Constables with minimum 5 years of service.*

With regard to the working of Investigation Section of the Vigilance Cell, following Standard Operating Procedure is being laid down. The Police Personnel working in the Investigation Section, shall scrupulously follow the Standard Operating Procedure.

(A) Subject to written orders issued by Hon'ble the Chief Justice generally or in a specific case, the Police Personnel deputed in the Investigation Section shall work within the scope as provided under this SOP.

(B) Subject to general supervision of Hon'ble the Chief Justice, the Investigation Section shall work under the direct control of Registrar Vigilance, High Court of Uttarakhand.

(C) Investigation Section shall carry-out its activities only on the directions issued by the Registrar Vigilance, which shall be issued in writing.

(D) If in any specific case, it would not be feasible to issue written directions forthwith, directions issued shall be reduced into writing at the earliest and shall be brought to the notice of Hon'ble the Chief Justice.

(E) On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all communication/correspondence with any Judicial Officer of the State Judiciary in relation with any matter with the Vigilance Cell, shall be made by the Registrar Vigilance.

(F) Police Personnel deputed in the Investigation Section shall not make any direct communication/correspondence to any Judicial Officer.

(G) On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all communication/correspondence with the District Judges in relation to any matter with the Vigilance Cell, to seek any information/document relating to an officer, shall be made by the Registrar Vigilance.

(H) Police Personnel deputed in the Investigation Section can make direct communication/correspondence with regard to any matter pending with the Vigilance Cell with other departments/offices, after bringing it to the notice of the Registrar Vigilance.

(I) In course of any Vigilance matter, statement of any Judicial Officer, if required, shall be recorded in presence of the Registrar Vigilance.

By Orders of Hon'ble Court,
Sd/-
ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar General.

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

आदेश

28 जून, 2023 ई0

संख्या–एसपीटी–आर–(गति सीमा)/2023–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा–116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम–180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस, परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की समिति द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम–180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों के मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार			
		तिपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	दुपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	हल्का चार पहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	मध्यम/भारी वाहन की अधिकतम गति सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	घण्टाघर से आरटीओ–डायवर्जन	30	30	30	20
2.	डायवर्जन से मालसी–कुठालगेट–शहंशाही– राजपुर	25	30	30	20
3.	डायवर्जन से राजपुर	30	30	30	20
4.	सहस्रधारा क्रॉसिंग से राजपुर रोड़ मसूरी बाईपास	30	30	30	20
5.	सर्व चौक से रायपुर	30	30	30	20
6.	बेनी बाजार, ई0सी0 रोड़–आराघर–धर्मपुर–रिस्पना–जोगीवाला	30	30	30	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	रिस्पना से हरिद्वार बाईपास–आईएसबीटी	30	30	30	20
8.	आई0एस0बी0टी0 से ट्रांसपोर्ट नगर	30	30	30	20
9.	आई0एस0बी0टी0 से शिमला बाईपास चौक	30	30	30	20
10.	आराघर से प्रिंस चौक	30	30	30	20
11.	प्रिंस चौक से सहारपुर चौक–पटेलनगर–शिमला बाईपास	30	30	30	20
12.	शिमलाबाईपास चौक से डाटकाली	30	40	50	30
13.	घंटाघर से चकराता रोड़–बिन्दाल–बल्लूपुर– प्रेमनगर	30	30	30	20
14.	प्रेमनगर से सुद्धोवाला	25	40	50	30
15.	धर्मपुर चौक से मातामंदिर बाईपास चौक	30	30	30	20
16.	रेस्ट कैम्प से बन्नू स्कूल से अग्रवाल बैकरी	30	30	30	20
17.	जोगीवाला चौक से रिंग रोड़ लाडपुर	30	30	30	20
18.	बल्लूपुर चौक से जी0एम0एस0 रोड़–कमला पैलेस–सेंट ज्यूड–ट्रांसपोर्ट नगर	30	30	30	20
19.	आई0एस0बी0टी0 से शिमला बाईपास– धर्मावाला–पौंटा मार्ग	25	30	30	20
20.	ग्रेट वैल्यू से कैनाल रोड़ सहस्रधारा बाईपास	30	30	30	20
21.	नेहरू कॉलोनी से 06 नंबर पुलिया, किद्दूवाला,रायपुर	30	30	30	20
22.	रेसकोर्स चौक से पुलिस लाईन, धर्मपुर	30	30	30	20
23.	बसंत विहार–सीमाद्वार	30	30	30	20
24.	मोहकमपुर से लाल तप्पड़	30	60	80	60
25.	लाल तप्पड़ फनवैली से पुलिस चौकी तक	30	40	60	40
26.	लाल तप्पड़ से आगे छिद्दरवाला तक	30	60	80	60
27.	छिद्दरवाला बाजार	30	40	60	40
28.	छिद्दरवाला से नेपालीफार्म–रायवाला	30	60	80	60
29.	रायवाला बाजार	30	40	60	40
30.	भानियावाला से जौलीग्रान्ट, रानीपोखरी–डांडी तक	30	40	60	40
31.	रायपुर से मालदेवता	20	30	30	20
32.	कारगी चौक से इन्द्रेश हॉस्पिटल लाल पुल	30	30	30	20
33.	श्यामपुर से कोयलघाटी तिराहा	25	40	50	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	नटराज से श्यामपुर तिराहा	25	40	40	30
35.	कोयलघाटी से आईडीपीएल एम्स हॉस्पिटल	25	40	40	30
36.	कोयलघाटी से मुनी की रेती	25	30	40	20
37.	नटराज से भद्रकाली—खारा स्रोत लक्ष्मणझूला तिराहा	25	30	30	20
38.	दिलाराम से हाथीबड़कला—अनारवाला—गुच्छूपानी—जोहड़ी—गुनियालगांव—मालसी	20	30	30	20
39.	सनपार्क चौराहा से आईटीबीपी सीमाद्वार	20	25	30	20
40.	कांवली रोड़ से पंडितवाड़ी	20	25	30	20
41.	रिस्पना से एमडीडीए— सचिवालय कॉलोनी—दून विश्वविद्यालय—मोथरोवाला	20	25	30	20
42.	टर्नर रोड़ एवं सुभाष रोड़	20	25	30	20
43.	सहारनपुर रोड़ से चन्द्रबनी—चोयला	20	25	30	20
44.	मिंयावाला चौक से बालावाला—गुलरघाटी	20	25	30	20
45.	मिंयावाला से तुनवाला—रायपुर	20	30	30	20
46.	रायपुर—नथुवावाला	20	30	30	20
47.	ऋषिकेश नटराज चौक से त्रिवेणीघाट चौराहा	20	30	30	20
48.	घंटाघर से प्रिंस चौक	20	30	30	20
49.	किशननगर चौक से कौलागढ़	20	30	30	20
50.	बल्लूपुर चौक से गढ़ीकैन्ट थाना	25	40	40	20
51.	नालापानी से आमवाला	20	30	30	20
52.	आईटी पार्क से ननूरखेड़ा—आमवाला रायपुर रोड़	20	30	30	20
53.	कुठालगेट से मसूरी	30	30	40	30
54.	सुद्धोवाला से विकासनगर	30	40	50	30
55.	विकासनगर से कालसी	30	30	40	30
56.	भोगपुर से इठारना	25	30	40	20
57.	रानीपोखरी से भोगपुर	25	40	40	30
58.	डांडी से नजटराज चौक	25	40	40	30
59.	सात मोड़ क्षेत्र	20	25	30	20
60.	नंदा की चौकी से पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बिधोली	25	40	40	30
61.	शिमला बाईपास से सेलाकुई	30	30	40	30
62.	हरबटपुर से धर्मावाला—दर्रारिट	30	30	40	30
63.	हरबटपुर से कुल्हाल वाया ढकरानी	30	30	40	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64.	एसडीआरएफ तिराहा भानियावाला से थानो	20	25	30	20
65.	हर्रावाला से नेपालीफार्म	30	60	80	60
66.	नेपालीफार्म से सयवाला	30	60	80	60
67.	रायपुर से थानो–भोगपुर	25	40	40	30
68.	कुल्हाल–डाकपत्थर–बाड़वाला	20	25	30	20
69.	बरोटीवाला–विकासनगर	25	40	40	25
70.	बरोटीवाला–अम्बाड़ी	25	40	40	20
71.	बाईपास–मोथरोवाला–दूधली–डोईवाला	25	40	40	30
72.	सेलाकुई–भाउवाला	25	40	40	20
73.	सुद्धोवाला–भाउवाला	25	40	40	20
74.	भानियावाला से डोईवाला	25	40	40	30

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –

(अ) अग्निशमन वाहन।
(ब) एम्बुलेंस।
(स) पुलिस वाहन।
(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक–2 में उल्लिखित मार्गों/स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

ह0 (अस्पष्ट)

पुलिस उप महानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद देहरादून

आदेश

25 जुलाई, 2023 ई0

संख्या–एसपीटी–आर–06(ई–रिक्शा) / 2023–एतद्द्वारा सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत विकासनगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, दुर्घटना नियन्त्रण एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विकासनगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर अनियमित एवं अनियन्त्रित रूप से संचालित ई–रिक्शा वाहनों का संचालन सीमित किये जाने के सम्बन्ध में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अध्ययन हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं क्षेत्राधिकारी विकासनगर जनपद देहरादून की एक समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत संचालित ई–रिक्शा वाहनों का संचालन निम्न मार्गों पर प्रतिबन्धित किये जाने की संस्तुति की गयी है–

1. **हर्बरटपुर चौक से चौकी बाजार -अम्बाडी पंवार मार्केट - कालसी बाजार तक।**
2. **डाकपत्थर तिराहा - डाकपत्थर बैराज तक।**

उक्त के अतिरिक्त निम्न मार्गों पर ई-रिक्शा वाहनों का संचालन किया जा सकता है –

1. **बरोटीवाला / अम्बाडी मोटर मार्ग।**
2. **कैनाल रोड।**
3. **हरिपुर तिराहा हरबर्टपुर से ढकरानी।**
4. **बेदांश स्वीट शॉप बाबूगढ से बरोटीवाला तक।**

गठित समिति द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या के आलोक में जनपद देहरादून अन्तर्गत विकासनगर के अति-व्यस्ततम स्थान हर्बरटपुर चौक से चौकी बाजार - अम्बाडी पंवार मार्केट - कालसी बाजार तक तथा डाकपत्थर तिराहा - डाकपत्थर बैराज तक की यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन के दृष्टिगत उक्त मार्गों पर संचालित ई-रिक्शा वाहनों को प्रायौगिक तौर पर प्रतिबन्धित किये जाने से उक्त मार्गों में यातायात का दबाव कम हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त मार्गों पर पूर्व से संचालित विक्रम वाहनों के साथ – साथ ई-रिक्शा वाहनों का संचालन होने से विकासनगर क्षेत्र में उत्पन्न यातायात अव्यवस्था को व्यवस्थित किये जाने तथा ई-रिक्शा वाहनों के संचालन को उक्त मार्गों पर प्रतिबन्धित किये जाने के उद्देश्य से परीक्षणोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना सार्वजनिक परिवहन सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में उक्त निर्णय लिया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है।

अतः मैं दलीप सिंह कुंवर, पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून **उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -180 के उपनियम-1 में प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रश्नगत मार्गों यथा हर्बरटपुर चौक से चौकी बाजार - अम्बाडी पंवार मार्केट - कालसी बाजार तथा डाकपत्थर तिराहा - डाकपत्थर बैराज** पर संचालित ई-रिक्शा वाहनों का संचालन **समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक** पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत करता हूँ।

उपरोक्त प्रतिबंधित आदेश का विधिवत अधिसूचना / गजट नोटिफिकेशन होने एवं सम्बन्धित स्थान / मार्गों पर तदनुसार सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

दलीप सिंह कुँवर,
पुलिस उपमहानिरीक्षक /
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, उधमसिंह नगर

अधिसूचना

15 जुलाई, 2023 ई0

पत्रांक—9247 / गति सीमा निर्धारण / 2023—केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—112 की उपधारा—(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा—116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम—180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने—अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—112 की उपधारा—(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम—180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधमसिंह नगर जनपद से होकर निकलने / चलने वाले वाले ऐसे मार्गो या मार्गो के अंश पर, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है:—

Details of motor road in the dist. Udham Singh Nagar under CD, PWD, Khatima

SL NO	DIVISION	CATEGORY OF ROAD	NAME OF ROAD	TOTAL LENGTH OF THE ROAD IN KM.	CHAINAGE (UNDER JURISDICTION OF DIVISION)		Category of vehicles and speed limit(km/hours)			
					FROM	TO	HEAVY GOODS VEHICLE / HEAVY PASSANGER VEHICHE / MEDIUM GOOGS VEHICE/ MEDIUM PASSANGER VEHICLE	LIGHT GOODS VEHICLE / LIGHT PASSANGER VEHICLE	TWO WHEELER	THREE WHEELER

National Highways (NH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khatima	NH 731-K	Khatima to majhola Pilibhit highway	13.200	0.000	13.200	60	70	60	40

State Highways (SH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khatima	SH-41	Ramnagar kaladhungi Haldwani Kathgodam Chorgaliya Sitarganj Bizti state highway	23.400	95.600	119.000	60	70	60	40
2	CD khatima	SH-107K	Khatima Melaghat Banmoaliya state highway	10.600	0.000	10.600	50	60	50	40
3	CD khatima	SH-70	Jhankaiya biriya sripur bichhuwa bigrabagh chakarpur kalapur jhankaiya mudeli satrahamil nanaksagar state highway jhankat biria shreepur bichuva bigrabagh chakarpur lalkothi road	54.280	0.000	54.280	50	60	50	40

4	CD khatima	SH -46	Puranpur madhotanda state highway	14.000	0.000	14.000	40	50	50	40

Major Distt Road (MDR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khatima	MDR	Sisaikheda sadhunagar nalni motor road	17.600	0.000	17.600	50	60	50	40
2	CD khatima	MDR	Km 12 of NH 125 to nanakmatta gurudwara sahib bauli sahib tapeda bazar nanakmatta tikuri ransali motor road	18.550	0.000	18.550	50	60	50	40
3	CD khatima	MDR	Sirsa mod to shaktifarm rudrapur jailcamp sidcul motor road	22.030	0.000	22.030	60	70	60	40
4	CD khatima	MDR	Portion of sitarganj market of PK road nakulia chintimajra tharu tisor motor road	13.950	0.000	13.950	50	60	50	40

Other Distt Road (ODR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khatima	ODR	Tedaghat chandeli puranpur pachpeda gandhinagar banusi maidamil jhankat motor road marg	12.500	0.000	12.500	40	50	50	40
2	CD khatima	ODR	Khempur matecha to bijti road	9.800	0.000	9.800	40	50	50	40
3	CD khatima	ODR	Khatima chinki biriya jhankat road	7.650	0.000	4.650	50	60	50	40
4	CD khatima	ODR	Paheniya shripur bichuwa road	11.000	0.000	11.000	50	60	50	40
5	CD khatima	ODR	Ramanpuri shaktifarm padagaon danibanagar motor road	13.850	0.000	13.850	50	60	50	40
6	CD khatima	ODR	Khatima melaghat road	0.900	10.600	11.500	60	70	60	40

Details of motor road in the dist. Udham Singh Nagar under PD, PWD, Rudrapur

							Category of vehicles and speed limit(km/hours)			
S L N O	DIVISION	CATEGORY OF ROAD	NAME OF ROAD	TOTAL LENGTH OF THE ROAD IN KM	CHAINAGE (UNDER JURISDICTION OF DIVISION)		HEAVY GOODS VEHICLE/ HEAVY PASSANGER VEHICHE/ MEDIUM GOOGS VEHICE/MEDIUM PASSANGER VEHICLE	LIGHT GOODS VEHICLE/ LIGHT PASSANGER VEHICLE	TWO WHEELER	THREE WHEELER
					FROM	TO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

State Highways (SH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD, PWD - Rudrapur	SH-5	Gadarpur-dineshpur matkota haldwani road	40.900	0.000	26.900	50	60	50	40
2	PD, PWD - Rudrapur	SH-61	Sardar nagar bariya daulat bannakhera road	71.400	0.000	9.000	50	60	50	40
3	PD, PWD - Rudrapur	SH-44	Nagla kichha road	20.725	0.000	20.725	60	70	60	50
			Total	133.025	0.000	56.625				

Major Distt Road (MDR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD, PWD - Rudrapur	MDR	Kichha-datnu road	8.885	0.000	8.885	50	60	50	40
2	PD, PWD - Rudrapur	MDR	Jafarpur-gularbhoj road	13.800	0.000	13.800	50	60	50	40
			Total	22.685		22.685				

Other Distt Road (ODR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Giddpuri virinagata road	3.600	0.000	3.600	40	50	40	30
2	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Rudrapur bypass road	2.700	0.000	2.700	40	50	40	30
3	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Balramnagar link road	0.120	0.000	0.120	40	50	40	30
4	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Azad nagar sunera barora lalpur road	7.000	0.000	7.000	40	50	40	30
5	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Bhuraani chattarpur matkota road	7.000	0.000	7.000	40	50	40	30
6	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Shimla pistor kuraiya road	8.960	0.000	8.960	40	50	40	30
7	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Nagla lalpur road	9.636	0.000	9.636	50	60	60	40
8	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Gadarpur milak khanam road	8.000	0.000	8.000	50	60	60	40
40	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Gadarpur balramnagar saidaliganj road	9.685	0.000	9.685	40	60	60	40
10	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Masitbahar bajeer saldaliganj missing link road	10.700	0.000	10.700	40	50	40	30
11	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Form pipliya mod to suryanagar dora dam tiliyapur basgar road	14.650	0.000	14.650	40	50	40	30
			TOTAL	82.051		82.051				

ANPR LOCATION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD-PWD-NH DIVISION HALDWANI	NH 74/SH 37	From pulbhatta bridge to UP border (ANPR) integrated C p sutiya	2.25	229.300 NH -74	57.50 SH-37	*	*	*	*
2	NH4J-D/V rudrapur	Nh 87	From rudrapur to kathgodam (ANPR) integrated CP rudrapur	49.780	43.446	93.226	60	80	60	50

* राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 के कि0मी0 239.30 से राज्य मार्ग संख्या–37 के कि0मी0 57.50 तक पुलभट्टा से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 4 लेन का कार्य गतिमान है। उक्त के दृष्टिगत वाहन हल्का/भारी गति सीमा नही दर्शायी जा सकती अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। उक्त कार्य की समाप्ति की सम्भावित तिथि 30 अक्टूबर 2023 अवगत करायी गई है, अतः उक्त के पश्चात ही गति सीमा का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा:–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एंव अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके। रात्रि में उक्त साइन बोर्ड प्रदर्शित हो इसके लिए रिट्रो–रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।
  - (अ) अग्निशमन वाहन।
  - (ब) एम्बुलेंस।
  - (स) पुलिस वाहन।
  - (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
  - (य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।
- उपरोक्त तालिका के कॉलम–4 पर उल्लिखित मार्गों/स्थानों एवं जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्र के मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1377 दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित,द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा यथावत लागू रहेगी।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन, उधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रूडकी जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड

अधिसूचना

22 जुलाई, 2023 ई0

पत्रांक–421/गति सीमा निर्धारण/2023–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा–116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम–180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह एचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम–180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूड़की क्षेत्रान्तर्गत से होकर निकलने/चलने वाले ऐसे मार्गो या मार्गो के अंश पर, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है।

मार्ग का नाम	दूरी	मध्यम/भारी वाहन हेतु अधिकतम गति सीमा (कि0मी0/घण्टा)	हल्क चार पहिया वाहन हेतु अधिकतम गति सीमा (कि0मी0/घण्टा)	तिपहिया वाहन हेतु अधिकतम गति सीमा (कि0मी0/घण्टा)	दुपहिया वाहन हेतु अधिकतम गति सीमा (कि0मी0/घण्टा)
NH 334 (ANPR Location/ Joint Checkpost Narsan से 500 मी0 आगे एवं 500 मी0 पीछे)	01 किमी	60	80	25	60
NH 344 (ANPR Location/ Mandawar से 500 मी0 आगे एवं 500 मी0 पीछे)	01 किमी	60	80	25	60

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा:–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट यातायात चिन्ह/साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान से 500 मीटर पहले व बाद में जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानकानुसार सम्बन्धित सडत्रक के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों के इसकी जानकारी व ज्ञान भलि–भॉति हो सकें।
- उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रिय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा।
  - (अ) अग्निशमन वाहन।
  - (आ) एम्बुलेंस।
  - (इ) पुलिस वाहन।
  - (ई) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
  - (उ) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

एल्विन रॉक्सी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

(प्रशासन), रूड़की।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/315–भाग 1–क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

27 जुलाई, 2023 ई0

सं.76/उत्तराखण्ड–वि.स./37/2022/सी.ई.एम.एस.–III–यतः उत्तराखण्ड राज्य की 37–पौड़ी (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/उत्तरा0–वि0स0/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 37- पौड़ी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री हरि कुमार, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 37- पौड़ी (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री हरि कुमार, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स./37/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री हरि कुमार, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1662/29- E.E/2022 दिनांक 29.11.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई गणेश लाल द्वारा दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1662/29-ई.ई/2022 दिनांक 29.11.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी पत्र सं0 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट एंव संवीक्षा रिपोर्ट एंव पत्र संख्या 497/29-EE/2022 दिनांक 27.06.2023 द्वारा आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल ने यह बताया गया है कि श्री हरि कुमार, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हरि कुमार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 37- पौड़ी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी-श्री हरि कुमार, निवासी ग्राम-सिंगोरी, पो0- सिंगोरी पट्टी कटूलस्यूँ, तहसील- श्रीनगर, जिला- पौड़ी गढवाल। को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
प्रताप सिंह शाह,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

July 27, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/37/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to **37-Pauri (SC)** Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with **37-Pauri (SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, **Pauri Garhwal, Uttarakhand** and forwarded by the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand** vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22th April, 2021, **Sh. Hari Kumar,** a contesting candidate of **Uttarakhand** from **37-Pauri (SC)** Assembly Constituency of **Uttarakhand**, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer Pauri Garhwal, Uttarakhand** and the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** a Show-Cause notice, 76/Uttarakhand - LA/2022/37/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Hari Kumar,** for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, **Sh. Hari Kumar,** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's brother Sh. Ganesh Lal, on 07.11.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Parul Garhwal,** vide its letter 1662/29-E.E/2022 dated 29.11.2022; forwarded by Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** letter no.891/XXV-22(II)/2008 date15.06.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Pauri Garhwal, in his Supplementary Report vide its letter No. 1662/29-E.E/2022 dated 29.11.2022; forwarded by Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** letter no. 891/XXV-22(II)/2008 dated 15.06.2023 and District Election Officer, Pauri Garhwal letter No 497/29-EE/2022 dated 27.06.2023 has reported that **Sh. Hari Kumar** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Hari Kumar,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order".

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Hari Kumar** resident of **Village-Singori, P.O. Singori Patti Katulsyun, Tehsil- Srinagar District- Pauri Garhwal,** a contesting candidate from **37-Pauri (SC)** Assembly Constituency of the State of **Uttarakhand** in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,

PRATAP SINGH SHAH,
Joint Chief Electoral Officer,
Uttarakhand.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/315–भाग 7–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़)

लाइसेन्स शुल्क–1916 की धारा 298

11 मई, 2023 ई0

पत्रांक–771/लाइसेन्स संशोधन उपविधि/शासकीय प्रकाशन/2023–24–कार्यालय नगर पालिका परिषद् धारचूला, द्वारा यू0पी0 म्यूनिसपैलटीज एक्ट 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पालिका अपनी सीमा के अन्दर दुकानों एवं विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के लिए नगर पालिका परिषद् धारचूला द्वारा लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क के उपनियम नियमानुसार तैयार किये गये थे। जिसका शासकीय गजट तैयार किया जा चुका है। परन्तु कतिपय व्यवसायियों की आपत्ति को बोर्ड द्वारा सुना गया। नगर पालिका परिषद् बोर्ड की बैठक दिनांक 16.11.2022 के प्रस्ताव संख्या 21 में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रकाशित लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क में संशोधन किया जाये। नगर पालिका परिषद् धारचूला द्वारा संशोधित सूची तैयार कर ली गई है। जिसे इस विज्ञप्ति के 30 दिन अन्दर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने है। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नहीं कियां जायेगा।

क्रम संख्या	मद/व्यवसाय का नाम	संसोधित उपरान्त प्रस्तावित दर (रूपया)	वर्तमान में प्रस्तावित दरे
(क)	खाद्य पदार्थ व्यवसाय		
1.	किराने की दुकान	700.00	–
2.	थोक किराना	1500.00	–
3.	पान की दुकान/अन्य सामग्री	800.00	–
4.	रेस्टोरेन्ट (चाट,छोले,चाय,नाश्ता)	500.00	–
5.	भोजनालय शेटे खुमचें (चावल,दाल)	500.00	–
6	सस्ते गल्ले की दुकान	700.00	
(ख)	रेस्टोरेन्ट(भोजनालय एवं मिठाई)		
7.	भोजनालय	1000.00	–
8.	पर्यटक आवास गृह	4000.00	
9.	चाय,बिस्कुट	300.00	–
10.	कौल्डिंग	1000.00	
11.	हलवाई	600.00	–
12.	चॉट,बताशा	300.00	–
13.	ड्राईफुड थोक	800.00	–
14.	ड्राईफुड फुटकर	600.00	–
15.	आटा चक्की/तिलहन	1000.00	–
16.	ब्रेकरी/बिस्कुट फैक्टरी	900.00	–
17.	मसाले थोक विकेता	3000.00	–
18.	मसाले फुटकर विकेता	600.00	–
19.	जूस कॉर्नर	500.00	–
20.	जनरल स्टोर (बडा)	1500.00	–
21.	जनरल स्टोर (छोटा)	700.00	–
22.	सब्जी की दुकान	600.00	–
23.	सब्जी का गोदाम	2000.00	–
(ग)	मदिरा की दुकान		
24.	शराब/बियर की दुकान	30000.00	–
25.	बियर बार	15000.00	–
(घ)	इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रोनिक्स व्यवसाय		
26.	इलैक्ट्रिक की दुकान	1000.00	–
27.	इलैक्ट्रोनिक्स की दुकान	2000.00	–
28.	इलैक्ट्रोनिक्स मरम्मत की दुकान	800.00	
29.	केबिल नेटवर्क	7000.00	–
30.	जनरेटर एंव अन्य उपकरण	500.00	–
31.	डी0जे0/साउन्ड सर्विस	1500.00	–
32.	टैन्ट हाउस	2500.00	–
33.	एफ.एम. टावर	10000.00	–
34.	कैसेट एंव डबिंग सैन्टर	500.00	–
35.	वैल्डिंग मशीन	700.00	–
36.	मोबाईल रिपेरिंग की दुकान	500.00	–
37.	मोबाईल टावर	10000.00	–
38.	मोबाईल की दुकान	800.00	–
39.	इंटरनेट कैफे	800.00	–
40.	पी0सी0ओ0	500.00	–

41.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1000.00	—
42.	कम्प्यूटर विक्रेता	2000.00	—
43.	कम्प्यूटर रिपेरिंग सेन्टर	1000.00	—
44.	घडी साज	200.00	—
45.	प्रिंटिग प्रेस	1000.00	—
46.	फोटो लैब	800.00	—
47.	फोटो ग्रफर	800.00	—
48.	फोटो स्टेट/लेमिनेशन	600.00	—
49.	फोटो फ्रेमिंग	300.00	—
50.	ग्रिल चौखट/वैल्डिंग की दुकान	1500.00	—
51.	आरा मशीन	2500.00	—
(घ)	**वाहन व्यवसाय**		
49.	दो पहिया वाहन शोरूम	3500.00	—
50.	चार पहिया वाहन शोरूम	6000.00	—
51.	वर्कशॉप (दो पहिया)	600.00	—
52.	वर्कशॉप(चार पहिया)	1200.00	—
53.	मोर्टस पार्ट्स(दो पहिया)	600.00	—
54.	मोर्टस पार्ट्स(चार पहिया)	1000.00	—
55.	टायर्स की दुकान	800.00	—
56.	गाडी की धुलाई	1000.00	—
57.	ट्रांसपोर्ट व्यवसाय	3000.00	—
58.	पेट्रोल पम्प	12000.00	—
59.	मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग सेन्टर	1000.00	—
60.	मिट्टी के तेल की दुकान	6000.00	—
61.	साईकिल स्टोर	700.00	—
62.	साईकिल मरम्मत की दुकान	250.00	—
(ड.)	**मेडिकल व्यवसाय**		
63.	चश्में की दुकान	800.00	—
64.	दॉतो का अस्पताल	1200.00	—
65.	पैथोलॉजी सैन्टर	1000.00	—
66.	दवाई की दुकान(आर्युवेदिक)	1000.00	—
67.	दवाई की दुकान(एलौपेथिक)	1500.00	—
68.	दवाई की दुकान(होम्योपेथिक)	1500.00	—
(च)	**होटल व्यवसाय**		
69.	आवासीय होटल पांच कक्ष तक	1500.00	—
70.	आवासीय होटल दस कक्ष तक	2000.00	—
71.	आवासीय होटल दस कक्ष से अधिक	3500.00	—
72.	आवासीय होटल एवं बारात घर सहित	5000.00	—
73.	बैंकट हॉल बारात घर	4000.00	—
74.	मिलन केन्द्र(बैंकट हॉल)	4000.00	
(छ)	**कपडा व्यवसाय**		
75.	कपडा व्यापारी थोक	5000.00	—
76.	कपडा व्यापारी फुटकर पक्की दुकान	1500.00	—
77.	कपडा व्यापारी खोखा दुकान	1000.00	—
78.	रेडिमेंड पुराने कपडे की दुकान	800.00	—
(ज)	कपडा रेडिमेंड की दुकान थोक/फुटकर	1500.00	—
79.	ऊनी/रेडीमेंड गारमेन्टस (थोक/फुटकर)की दुकान	2000.00	—
80.	रेडीमेंड कपडे की पक्की दुकान	1000.00	—

81.	रेडीमेंड कपडे की दुकान (खोखा)	800.00	–
82.	रूई गददे रजाई की दुकान	1000.00	–
83.	रूई गददे रजाई धुनाई एंव बुनवाई	1200.00	–
(झ)	बर्तन व्यवसाय		
84.	बर्तन व्यापारी	1000.00	–
(ञ)	मांस विक्रय		–
85.	बकरी बकरा लाईसेन्स शुल्क	1200.00	–
86.	मुर्गा मुर्गी लाईसेन्स शुल्क	1200.00	–
87.	सुअर मांस की दुकान	1200.00	–
88.	मछली की दुकान	1000.00	–
(ट)	पशु वध शुल्क		
89.	बकरी बकरा प्रतिनग	50.00	–
90.	मुर्गा मुर्गी– मछली व्यवसाय प्रतिदिन शुल्क	50.00	–
91.	सुअर प्रतिनग शुल्क	50.00	–
(ठ)	अन्य व्यवसाय		
92.	सीमेन्ट/सरिया/ईट/टाईल्स/हार्डवेयर विकेता	2000.00	–
93.	हार्डवेयर की दुकान	1000.00	–
94.	फर्नीचर की दुकान	1500.00	–
95.	फर्नीचर मैकर्स	1200.00	–
96.	मार्बल/टाइल्स की दुकान	1200.00	–
97.	बक्सा मरम्मत की दुकान	500.00	
98.	शीशा ग्लास सैन्टर/प्लाईवुड की दुकान	1200.00	–
99.	अलमारी/बॉक्स स्टील आयरन वकर्स	1000.00	–
100.	ग्रिल/चौखट/स्टील वकर्स	1000.00	–
101.	कारपेन्टर	1200.00	
102.	शटरिंग हाउस	1000.00	–
103.	मिठाई के डब्बे मेकर्स	2000.00	–
104.	टेलर मास्टर (दो मशीन) तक	400.00	–
105.	टेलर मास्टर (दो मशीन) से अधिक	600.00	–
106.	पी0को0 टेलर सेन्टर	500.00	–
107.	ड्राईक्लीनर्स	1000.00	–
108.	बारबर की दुकान दो कुर्सी तक	300.00	–
109.	बारबर की दुकान दो कुर्सी से अधिक	500.00	–
110.	होडिंग (4*4)फिट तक	400.00 प्रति वर्ग फिट	–
111.	होडिंग (4*4)फिट से अधिक	800.00 प्रति वर्ग फिट	–
112.	बुक सेलर	1000.00	–
113.	ड्राफ्ट मैन	800.00	–
114.	जूता चप्पल थोक बिकेता	1500.00	–
115.	जूता चप्पल	1000.00	–
116.	बिसात की दुकान (खोखा)	500.00	–
117.	बिसात की दुकान (पक्की दुकान)	1000.00	–
118.	श्रृगांर केन्द्र/कास्मेटिक/अस्थाई फड में	1000.00/500	–
119.	ब्यूटी पार्लर	1000.00	–
120.	स्वर्णकार	1500.00	–
121.	लौहार	150.00	–
122.	मोची फुटपात	100.00	–
123.	धोबी	500.00	–

124.	व्यायाम शाला	500.00	—
125.	साईन बोर्ड की दुकान	600.00	—
126.	पैन्टर्स/आटर्स वर्किंग	600.00	—
127.	चाबी छल्ला बनाने की मशीन	500.00	—
128.	बीज गोदाम	500.00	—
129.	स्टोप शाता	500.00	—
130.	डलिया सूपा	500.00	—
131.	बैन्ड	7500.00	—
132.	पल्लेदारी	100.00	—
133.	फेरी	300.00	—
134.	घोडे खच्चर प्रतिनग	200.00	—
135.	रिक्शा	200.00	—
136.	हाथ ढेला	200.00	—
137.	कबाडी की दुकान	1000.00	—
138.	कार्यालय एडवोकेट	1200.00	—
139.	खेल पुरूस्कार की दुकान	1000.00	—
140.	विडियो गेम्स	1000.00	—
141.	व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान	2000.00	—
142.	अखबार पत्रिका विकेता/अन्य सामग्री विकेता	1000.00	—
143.	प्रोपर्टी डिलर	5000.00	—
144.	कोरियर सेन्टर	500.00	—
145.	पार्किंग शुल्क (चौपहिया वाहन)प्रतिवाहन/प्रति घंटा	20.00	—
146.	पार्किंग शुल्क (दोपहिया वाहन)प्रतिवाहन/प्रति घंटा	10.00	
147.	पार्किंग शुल्क (छः पहिया वाहन)प्रतिवाहन/प्रति घंटा	30.00	—
148.	विलियट्स गेम	3000.00	—
149	सिलाई,बटन,व सुई धागे के अन्य सामग्री	800.00	
150.	मॉल	3000.00	
151.	एकाधिक मल्टीपल दुकान	1500.00	
152.	भूमि हस्तान्तरण शुल्क	3000.00	
153.	कुली लाईसेन्स शुल्क	500.00	
154.	बिलम्ब शुल्क	10 प्रतिशत	
155.	काजी हाउस (कुत्ते का शुल्क)	200.00	
156.	आवारा जानवर शुल्क	2000.00	
157.	आईसकीम ठेला शुल्क	300.00	
158.	डाउन पाईप चालान फीस	2500.00	
159.	प्लम्बर रजिष्टेशन शुल्क	1000.00	
160	पालतू कुत्ता रजिष्टेशन शुल्क	500.00	
161.	रोड कटिगं शुल्क	100.00प्रति वर्ग फीट	
162.	राज मिस्त्री रजिष्टेशन शुल्क	1200.00	
163.	गैस स्टोप/कुकर/मशीन आदि मरम्मत कार्य	500.00	
164.	छूट (समय अर्न्तगत जमा करने पर)	5 प्रतिशत	
165.	सी0एस0सी0सेन्टर	1200.00	
166.	बैंक एवं अन्य विभाग सफाई कर	5000.00	
167.	गैस आफिस	2500.00	
168.	गैस वितरण ठेकेदार	1500.00	
169.	ठेकेदारी रजिष्टेशन शुल्क	3000.00	

पी0एस0वोरा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, धारचूला,
(पिथौरागढ़)

राजेश्वरी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, धारचूला,
(पिथौरागढ़)

कार्यालय नगर पंचायत बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

विज्ञप्ति

24 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक–2065/सेप्टेज मैनेजमेन्ट–उपविधि/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत बेरीनाग की बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिससे व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोक हित में सुविधा सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम–2021 में यदि किसी संस्था व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपित्त/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ में प्रस्तुत कर सकता है, समय पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत् हैं:–

परिभाषाः–

1:–संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः–यह उपनियम नगर पंचायत बेरीनाग फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम–2021, नियमावली कहलायेगी जों कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पंचायत बेरीनाग की सीमा के भीतर लागू होंगे।

नगर पंचायतः–नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ के 07 वार्डो की सीमा से हैं।

3–अधिशासी अधिकारीः–अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत बेरीनाग के कार्यपालक अधिकारी से है।

4–अध्यक्षः– अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत बेरीनाग के निर्वाचित बोर्ड से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक/उपजिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5– सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल :–सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत बेरीनाग में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष उपजिलाधिकारी बेरीनाग होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेरीनाग सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान पिथौरागढ़, अधिशासी अभियन्ता जल निगम गंगोलीहाट तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी, तथा अवर अभियंता लो0नि0विभाग बेरीनाग नामित सदस्य होंगे।

1–शीर्षक विस्तार और प्रसंग :– राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक गढ्ढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1– राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः–

इस महत्पूर्ण कार्यकम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहें एवं अच्छी सफाई भी बनी रहें तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा, निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त क्षेत्रों में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविक प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकालः–

माननीय एन0जी0टी आदेश सं0–10/2005 दिनांक 10–12–2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा" यह अज्ञान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निशुल्क किसानों को वितरित की जायें और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत बेरीनाग की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशलय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्ध से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबन्ध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें। आदेश सं0. 597/IV(2)–शा0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनांक 22–05–2017 राज्य का सैप्टिक प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिक प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण,परिवहन,उपचार, सैप्टिक/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं। कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी कियान्वयन कि लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत बेरीनाग, पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे।

2–नगरीय उपकानून/ "फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण":–सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं–597/(IV (2)–शा0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनांक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय–2 पर शासन संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ नियमित ढांचों रिक्त करने एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत बेरीनाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :– इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत् हैं:–

1. निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे परिवहन इलाज़ और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे से और फीकल स्जल एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इस निर्देशें का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।
5. निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।

4– एकत्रीकरण परिवहन इलाज सैप्टिक के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनाना।

4–(1) सैप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:–

सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार–बार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आये,

जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग (जो नगर पंचायत बेरीनाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहियें।

सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय और सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

4 (2) सैप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन

1– फिकल स्लज और सैप्टेज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय–समय पर सैप्टेज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) फिकल स्लज और सेप्टेज फिकल निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:–

(अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा और फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु तालाबन्द रहेगा। और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे।

(ब) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3) सैप्टेज का निष्पादन और इलाज–राज्य सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत बेरीनाग की अपनी एक इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।

5–सुरक्षा उपाय :–

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें।

(2) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें :–

- समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोकिन, लोयर, रबर बूट, चेहरे का मास्क , आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मैनुवल स्केवेंजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।
- समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।
- समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहियें।
- प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।
- सैप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में जब काम चल रहा हो उस समय धुमपान पूर्णतः वर्जित है।
- मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में और शौचालय गढ्ढे में प्रवेश नही करेंगे। और आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे। जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

- बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहें, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन होल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।
- उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एवं विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

6– सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन–

6.1 नगर पंचायत, बेरीनाग वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसेन्स निर्गत करेगा, निजी व्यवसायियों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह अशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है, तथा मानकों के अनुरूप है, सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण करने हेतु नगर पंचायत, बेरीनाग के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ वाहन का परमिट व परमिट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

6.2 नगर पंचायत, बेरीनाग सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा। जो व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है।

सारणी– 1 पंजीकरण व्यय

अ–प्रारम्भिक पंजीकरण–	रू0 2000.00 प्रतिवाहन
ब–वार्षिक नवीनीकरण–	रू0 1500.00 प्रतिवाहन
स–नाम परिवर्तन/स्वामी का परिवर्तन–	रू0 1000.00 प्रतिवाहन
द–अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार–	रू0 1500.00 प्रतिवाहन

7– उपभोक्ता लागत और इसका संचय–

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिको जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पंचायत में फीकल स्लज और सैप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढ्ढे, परिवहन और फिकल स्लंज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 नगर पंचायत, बेरीनाग अपनी लागत से संशोधित करेगा कि समय–समय इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नवत है–

(अ)– उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत बेरीनाग द्वारा वसूला जायेगा या नगर पंचायत, बेरीनाग के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

सारणी–2 उपभोक्ता लागत

क्र0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गढ्ढे हेतु निर्धारित है	मासिक दण्ड 5 प्रतिशत की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	4,000.00	कम से कम 2–3 वर्ष में एकबार जब 2 टैंक होतें है 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार	200.00
2	अन्य समस्त आवास	4,000.00		200.00
3	दुकान	4,000.00		200.00
4	सरकारी/निजी कार्यालय	4,000.00		200.00
5	बैंक	4,000.00		200.00
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	4,000.00		200.00
7	रेस्टोरेन्ट	4,000.00		200.00
8	होटल/गेस्ट हाउस (1 से 10 कमरें)	4,000.00		200.00
9	धर्मशाला (1 से 25 कमरें)	4,000.00		200.00
10	सरकारी स्कूल/कॉलेज	4,000.00		200.00
11	निजी स्कूल/कॉलेज	4,000.00		200.00
12	व्हीकल शोरूम	4,000.00		200.00

13	विवाह हॉल/बैंकट हॉल	4,000.00		200.00
14	बार	4,000.00		200.00
15	सरकारी हास्पिटल	4,000.00		200.00
16	नर्सिंग होम/क्लीनिक	4,000.00		200.00
17	पैथोलॉजी लैब	4,000.00		200.00
18	निजी अस्पताल 20 बैड तक	4,000.00		200.00
19	अन्य	4,000.00		200.00

नोट– 1– उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत बेरीनाग द्वारा निर्गत किये जायेगे।

2– मल निस्तांरण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत, बेरीनाग द्वारा स्वीकृत है)

3– उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8–मैकेनिज्जम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:–

8.1 कोई भी व्यक्ति जो एस0एम0सी0 (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पंचायत, बेरीनाग द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय, गढ्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माने से प्राप्त धनराशि नगर पंचायत कोष में जमा होगी।

8.3 नगर पंचायत, बेरीनाग क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी, जो कि सैप्टिक टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सैप्टिक का ईलाज।

9–दण्ड:–

दण्ड का ढॉचा उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाणी निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टेज ईलाज प्लांट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना।

सारणी–3 दण्ड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एकवार मल निस्तारण	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरें बार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1	लोगो की शोचनीय सेवा की शिकायत	2500.00	5000.00	तीन महिने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/फिकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000.00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000.00	2000.00	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना

शाक्ति / दण्ड

नगर पंचायत, बेरीनाग जिला–पिथौरागढ की सीमान्तर्गत "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10 / 2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करतें हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लघंन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा। उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 5000.00 (रू0 पॉच हेज़ार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100.00 (रू0 एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

शाहिद अली,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, बेरीनाग।

हेम पन्त,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेरीनाग।

कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधम सिंह नगर)

14 जून, 2023 ई0

पत्रांक–263/न0पं0 / प्ला0अप0प्र0 / 2022–23–नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा–२९८ (घ) एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अंतर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा हेतु नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986(1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 द्वारा बनाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु तैयार किये गए "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप–नियम, 2022" बोर्ड बैठक दिनांक 05–06–2023 में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या–13 के द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशन कराया जाना स्वीकार किया गया है।

उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९१६ यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा–३०१(२) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायत केलाखेड़ा, "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप–नियम, 2022" का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तराखण्ड में किया जाता है।

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022"

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-

(i) ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022 कहलायेंगे।

(ii) ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(iii) ये उपनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख ईकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की ईकाइयों पर लागू नही होगा, परन्तु यह छूट गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नही होगी।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक ब्रांड के मालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी।

3. परिभाषायें :- इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) अधिनियम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है।

(ख) ब्रांड मालिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।

(ग) कैरी बैग्स से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने या वस्तुयें तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नही है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है।

(घ) "वस्तु से" ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित हैं।

(ङ) "कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई आक्साईड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नही छोड़ती है।

(च) "विघटन" से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है।

(छ) "विस्तारित उत्पादक दायित्व" से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ के लिये उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है।

(ज) "खाद्य पदार्थ" से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाये हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

(झ) "सुविधा" से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भण्डारण, पुनर्चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है।

(ञ) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाईसेन्स है जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नही दी गई हो।

(ट) "संस्थागत अपशिष्ट जनित " से केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनिया , अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय , विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्तर, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरा, मॉल और शौपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(ठ) "विनिर्माता" से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या ईकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है।

(ड) "बहुस्तरीय पैकेजिंग" के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, कार्ड बोर्ड बहुलक्ष्य सामग्रियां , धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एक स्तर रखती है।

(ढ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीइथाइलिनटेरेफथलेट , उच्च घनत्व पोलीइथाइलिनविनाइल, कम घनत्व पोलीइथाइलिन, पोली प्रोपीलीन, पोलीस्टाइरिन रेसिन, एकरीलीनोट्रायल-बूटाडाइन-स्टाइरिन जैसी वह सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफथलेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हों।

(ण) "प्लास्टिक चादर " से प्लास्टिक चादर अभिप्रेत है अर्थात प्लास्टिक से बनी चद्दर।

(त) "प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट" से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चात फैंक दिया जाता है।

(थ) "उत्पादक" से केरीबैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक सीट या जैसे या प्लास्टिक सीट के बनाये गये कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित है।

(द) "पुनर्चक्रीकरण" नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(ध) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सम्बद्ध प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

(न) "पथ विक्रेता" का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में है।

(प) "शहरी स्थानीय निकाय" से नगर पंचायत केलाखेड़ा अभिप्रेत है सम्मिलित है।

(फ) "अप्रयुक्त प्लास्टिक" से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नही किया गया। अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नही किया गया है।

(ब) अपशिष्ट जनित से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमान पत्तन, बन्दरगाह और रक्षा कैन्टोन्मेंट, जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(भ) अपशिष्ट प्रबन्धन से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है।

(म) अपशिष्ट चुनने वाले से पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या एजेन्सियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है।

(य) थरमोस्टेट प्लास्टिक, जब ताप या अन्य साधन से उत्पादित तात्विक रूप से अगलनीय या अघुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है थरमोस्टेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने संगठित रसायनिक संरचना के कारण रिमोड या रिसाइकिल नही किया जा सकता।

अध्याय-2

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन-

4- नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन निम्नवत किया जायेगा-

(क) प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक- अपशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो, निबन्धित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल के साथ चेनलाईज करेगी और भारतीय मानक आई0एस0 14534 : 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए मार्गदर्शन समय- समय पर यथा संशोधन के अनुरूप संपुष्ट करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाइकिल नही किया जा सकता) सड़क निर्माण या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियन्त्रण मानको के अनुसार इन तकनीकियों का पालन किया जायेगा।

5- शर्तों का पूरा किया जाना- नगर पंचायत केलाखेड़ा का विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंम्भीर पर्यावरणीय समास्याये उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगर पंचायत केलाखेड़ा की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई जाय।

(i) कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(ii) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हाकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(iii) बायोमेडिकल के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, बीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पालीबैग, प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी। यथा-

1- बायोमेडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपविधि के प्राविधानों से छूट प्राप्त होगी तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम नही होंगे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में इस सम्बन्ध में

किये गये प्राविधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

2- रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थो के भण्डारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नही किया जायेगा।

3- वर्जिन या रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर, उसकी मोटाई पर विचार किये बिना, नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता में रोक लगेगी।

4- राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्वि करने के लिए उपयोग किये गये पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पालीबैगों का पुनः संग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारें को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5- निजी नर्सरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्वि के लिए उपयोग किये जाने वाले पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों प्राईवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समयवधि तक इन पालीबैगों का दोबारा उपयोग हो।

6- निजी तथा सरकारी नर्सरी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पालीबैगों को एक स्थान पर संग्रह किया जाय तथा उसे नगर पंचायत को निर्धारित फीस का भुगतान कर हस्तगत कर सकें।

7- प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किये गये प्लास्टिक के बने कवर के अभिन्न भाग न हों उनको छोडकर जहा ऐसे प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों की क्रियाशीलता को कम करते हों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नही होगी।

8- विनिर्माता राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना उत्पादक को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किये जाने हेतु विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नही करेगा।

9- पाउच के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाले के भण्डारण पैकिंग या विक्रय के लिए नही किया जायेगा।

10- प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट-मालैक एसिड, बिनाईल क्लोराइड, कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नही किया जायेगा।

अध्याय-3

प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग-

6 (i) खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर प्लास्टिक की शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नही बेचगे या उपलब्ध करेगे जो इस उप विधि के अधीन यथा विहित रूप में विनिर्मिता और लेबल या मार्क न किया गया हो।

(ii) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से बने कवरों में जो इस उप विधि के अनुसार विनिर्मित या लेबल या मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर ऐसी फीस भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो उप विधि के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हों।

(iii) मल्टी लेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम, निबन्धन सं0 मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अग्रेंजी में मुद्रित होगा।

अध्याय-4

उत्पादक, रिसाईक्लर और विनिर्माता का निबन्धन

7(i) नियम 5 (ii) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नही करेगा तथापि मल्टीलेयर पैकेजिग मैटेरियल का विनिर्माण केवल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व एक विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

(ii) प्लास्टिक मैटेरियल, मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेगे।

अध्याय-5

प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण

8. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण पृथक्करण एवं प्रसंस्करण निम्नवत किया जायेगा-

(क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु कदम उठायेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेन्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टबीन पर अपशिष्ट के पृथक किये गये भण्डारण के लिए कदम उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट बिन में ही एकत्रित किया जायेगा।

(ग) सेकेन्ड्री स्टोरेज पॉइंट/डिपो/ट्रांसपोर्ट स्टेशनो पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकर्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा कागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के लिए सीधे दी जायेगी।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय गीला एवं सूखा कूड़े के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन, मैटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से पेपर, लोहा, शीशा, ई वेस्ट, पालीथीन, चमडे, जूते, पेट बोटल रबर इत्यादि जैसे ड्राई वेस्ट के भण्डारण एवं छटाई के लिए अलग बीन या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करेगी।

(ड) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताओ/स्थानीय हालात के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्ध तकनीकी जैसे- प्लाज्मा पाइरोला द्वारा तकनीकी, बेलिग प्रेस और रिफ्यूज ड्राईन्ड फ्यूल (आर.डी.एफ.) निर्माण, सीमेंट क्ले तथा प्लास्टिक श्रेडिंग को-प्रोसेसिंग की स्थापना की भी जांच पडताल करेगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय कचरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके कायापलट की सक्रीय रूप से कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स/कबाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय उत्पादक क्रियाकलापों पर लगातार संवेदना ग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी।

(ज) वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे पेपर बैग बनाना, कार्टन बैग, सिलाई, कूशन मेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी।

अध्याय-6

9- मोनिटरिंग क्रिया विधि-

(क) इन उप विधियों के प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस निमित्त हेतु इसके सदस्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगें।

अध्याय-7

उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना

10- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्रर्वतन और प्रबन्धन के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

11- उल्लंघन पर जुर्माना-

(क) इस उपविधि के आरम्भ की तिथि को और उसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार एक माह तक जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके बाद इस उपविधि का कोई उल्लंघन अनुसूची-1 में यथाविहित जुर्माने से इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करेगी।

(ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बने मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कवर में जिसका विनिर्माण लेबल या मार्क उप विधि के अनुसार नही किया गया हो विक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची- 1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(घ) नगर पालिका परिषद् अधिनियम के अंतर्गत नगर पंचायत के अधिकारी उपविधियों के प्राविधानों के उल्लघंनकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना वसूल करेगे।

12- व्यतिक्रम की दशा में कार्यवाही :-

कोई विनिर्माता, उत्पादक , आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर जो जुर्माना नही देगा वह सम्पत्ति कर के बकाये के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। बार-बार अपराध करने वालों के विरूद्व नगरपालिका अधिनियम के प्राविधानों/स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-8

आवेदकर्ता का वार्षिक रिर्टन

13- आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न (पी.डब्लू.एम. नियमावली 2016)

(क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म-1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ख) अपशिष्ट (वेस्ट) रीसाइक्लिंग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रसंस्करण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रीसाइक्लिंग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ग) उत्पादक द्वारा कच्चा माल के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए फार्म-III में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग एवं प्रोसेसिंग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म-IV में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।

(ङ) नगर पंचायत केलाखेड़ा फार्म-V में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को समर्पित करेगा।

अध्याय-9

स्टॉक होल्डर का उत्तरदायित्व :-

14.1 नगर पंचायत केलाखेड़ा का उत्तरदायित्व:-

(क) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण भण्डार परिवहन, प्रोसेगिंस तथा निपटारें के लिए आधारभूत सरंचना विकसित करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समन्वय तथा सहयोजित कृत्यों के पालन के लिए जिम्मेदारी होगी, यथा-

1. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना।
2. इस प्रोसेगिंस के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो,
3. रिसाईकिलर्स को रिसाईक्लेबल प्लास्टिक अपशिष्ट खण्ड का चैनलाइजेशन सुनिश्चित करना
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर- रिसाईक्लेबल खण्ड के प्रोसेसिंग तथा निपटाव को सुनिश्चित करना।
5. सभी स्टेकहोल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरुकता पैदा करना।
6. वेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूल को शामिल करना।
7. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय या किसी एजेंसी को लगाकार प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रो की स्थापना, करेगी। जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधा प्लास्टिक अपशिष्ट को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण के स्त्रोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा सवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान होगा।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के अल्पकालीन एंव दीर्घकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागरुकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी।

(ङ) जुर्माने के रुप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तर्कसम्बन्धी आधारभूत सरंचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के घोषणा के लिए उपयोग की जाएगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनिर्निमाताओं उत्पादकों तथा ब्रांड स्वामियों की सहायता लेगी।

14.2 अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी-

(क) अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य होंगे-

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 (समय –समय यथा संशोधित)के अनुसार स्त्रोत पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए बने बिन में संग्रह करना।

(ii) प्लास्टिक कूडा-कचरा न फैलाना तथा स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्कृत भण्डारण सुनिश्चित करना एंव रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स रजिस्टर्ड रिसाईक्लर्स या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपषिश्ट उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेंगे तथा जमा करेगे।

(ग) सभी अपषिश्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे अपशिष्ट संग्रहण या प्रवर्तन या उसी सुविधा इत्यादि के लिए फीस या शुल्क का भुगतान करेंगे जो इस हेतु नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2017 के अनुसार में विनिर्दिष्ट की जाय।

(घ) खुली जगह में कोई समारोह आयोजित किये जाने या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने जिसमें प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिग में योजना सामग्री देना अतिग्रस्त हो के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोह के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेगा और प्रतिबन्धित करेगा। ऐसे समारोह कार्य आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का भुगतान कर वैसे पृथक्कृत अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 1.1 वर्ग मी0 का दो की संख्या में कन्टेनर रखने हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा से अनुरोध किया जाना चाहिए।

14.3 <u>उत्पादक आयातक तथा ब्रांड मालिक के उत्तरदायित्व</u> :-

(क) उत्पादक उप विधि के प्रकाषन की तिथि से 6 माह की समयसीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करना तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से अपने वितरण चैनल या सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से उसे अन्तरित करेंगे।

(ख) उत्पादक राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होगे।

(ग) सभी उत्पादक, ब्रान्ड मालिक या आयातक जो मल्टीलेयर प्लास्टिक शीट या पाउच या पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने उत्पादों का विक्रय विपणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्राथमिक रुप से जिम्मेदार होगें।

(घ) उपयोग किए गए मल्टीलेयर प्लास्टिक सेचेट या पाउच या पैकेजिंग के सग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयात को और ब्रान्ड स्वामियों की है, जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित करते है। उनके उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट वापस संग्रह करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उनकी आवश्यकता है। यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीनीकरण हेतु सहमति के लिए आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करनी है।

(ड) प्रत्येक उत्पादक कच्चे माल के रुप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बने कमरे के निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्यौरे का एक अभिलेख संधारित करेगा।

(च) प्लास्टिक का उपयोग करते हुए रिसाईक्लेबल मल्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकजिंग सामग्री के विनिर्माता/ब्रांड मालिक, उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विद्यमान वेस्ट वर्कर्स /स्क्रैप ट्रेडर्स, रिटेलर्स, के साथ समन्वय/सहयोग और उनके स्वंय स्थापित रिसाईक्लिंग प्लांट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन (पी0आर0ओ0) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण से अंतिम निपटारे तक 100 प्रतिशत जिम्मेदार होगें, कर्मठता क्रियान्वित करेगें।

(छ) पी.ई.टी. बोतल (P.E.T. BOTTLE) उत्पादकों/उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा विनिश्चित वापसी दर या खरीद बैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय। और यह सुनिश्चित करेगें कि इनका रिसाईकिल किया जाय। पी.ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद बैंक की कीमत स्पष्ट रुप से मुद्रित करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की है।

(ज) बहुसंख्या में पी.ई.टी. बोतल उपभोक्ताओं जैसे होटल, मैरिज हॉल/पार्टी हॉल, बाह्य खेल, स्थानों कार्यालयों/संस्थाओं की प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा।

(झ) रिटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रिटेलर के खरीद बैक क्रिया विधि के माध्यम से ग्रॉसरिज एंव अभाव के पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकिग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के संग्रहण एक क्रिया विधि सृजित करके सामूहिक रुप से कार्य करेगें तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामग्रियों का रिसाईकिल करना तथा निपटारा करना सुनिश्चित करेगें।

14.4 रिटेलर्स स्ट्रीट वेंडर, खाने वालें/हॉकर इत्यादि की जिम्मेदारी :-

(क) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, रिटेल वेंडर खाने वाले हॉकर, फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के भण्डार वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैरी बैंगों का विक्रय भण्डारण या वितरण या उपयोग नही करेगा।

(ख) प्लास्टिक कैरी बैग का दुकानदार/विक्रेता रिटेलर या ट्रेडर्स, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के दिनांक से समय सीमा के भीतर उद्योग विक्रय स्टॉक समाप्त कर देगें, उस कालावधि के बाद किसी ऐसे प्लास्टिक कैरी बैंग विक्रय भण्डारण या उपयोग इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा।

(ग) मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बने कवरों, जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित या लेवल न किया गया हो, वस्तुओं को बेचने वाला या उपलब्ध करने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के भुगतान का दोषी होगा।

14.5 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी),उत्तराखण्ड शासन की जिम्मेदारी :-

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे से सम्बन्धित इस नियमावली के प्राविधानो को लागू करने हेतु प्राधिकार होगा।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा।

14.6 जिला स्तरीय समीक्षा एंव मोनिटरिंग समिति :-

(क) ठोस एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा एंव मोनिटरिंग करना।

(ख) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्वलोकन करना तथा प्लास्टिक एंव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के सभी प्राविधानों को क्रियान्वित करना।

(ग) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट का बेसलाईन डेटा बेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश देना।

(घ) ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक प्रबन्धन अभियान की प्रगति का मोनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एंव नगर विकास एंव आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ड) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर तीन माह पर कम से कम एक बार शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा सभी समिति करेगी।

(च) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन, लाईन विभागों तथा सिविल सोसाईटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मोनिटरिंग तथा प्रबन्धन करने का समर्थन करने के समन्वय से सीधा निर्देश देगी और कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मोनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौपेगी।

14.7 सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स निम्नलिखित कार्यों का जिम्मा लेगा-

(क) नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना।

(ख) प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किए गए प्राविधानों के अनुसार लेबल अथवा मार्क नही किए गऐ हो सहबद्ध उत्पादों को जब्त करना।

(ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में विहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।

(घ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों अंतराज्य सचंलन तथा विक्रय को रोकना।

(ड) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना।

अनुसूची-1

क्र० सं०	अपराध	प्रशमन चार्ज		
		प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
१	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण व्यवसाय, भण्डारण विक्रय	२०००	३०००	५०००
२	प्लास्टिक कैरी बैंग का उपयोगकर्ता			
i	वाणिज्यक उपयोगकर्ता	१५००	२५००	३५००
ii	घरेलू उपयोगकर्ता	१००	२००	५००
३	मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नही किए गए हों, मे वस्तुओं का उपयोग विक्रय या उसे उपलब्ध करना।	२०००	३०००	५०००
४	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना।	२०००	३०००	५०००
५	सार्वजनिक स्थानों पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों मे प्लास्टिक अपशिष्ट का फैलाना।	१०००	१५००	२०००
६	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समारोह या सभा आयोजित या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	१५००	२०००	२५००

इस उपविधि के प्राविधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सडक विक्रेता, स्टाकिस्ट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्राविधानो में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा।

फॉर्म - IV

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17(1)के अधीन)

स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिर्पोट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता	
2	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	मोबाईल	
	ई-मेल	
3	हैसियत	
4	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी	
5	वर्ष के दौरान स्रोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
6	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्र (टनों में)	
7	भूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए भेजी गई निष्क्रिय या अस्वीकृत की मात्रा	
8	फार्म भरने की सुविधा का ब्यौरा जिसके अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रिय या अस्वीकृत भेजे गए थे पता - टेलिफोन -	
9	पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो सलंग्न किया जाय।	
	दिनांक: स्थान:	आपरेटर का हस्ताक्षर

फॉर्म - V

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17 (2) के अधीन)

शहरी विकास एंव आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	नगर, शहर और राज्य का नाम	
2	जनसंख्या	
3	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
4	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता-	
	टेलिफोन संख्या-	
	फैक्स संख्या-	
	ई-मेल-	
5	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
6	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या	
7	डोर-टू-डोर संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या	
8	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या	
9	वाणिज्यक स्थापनाये	
	संस्थाएं	
10	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रखे गये यंत्र के साथ-साथ डोर-टू-डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के ब्यौरे का संक्षिप्त विवरण	
11	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा सलंग्न करें।	

12	अपेक्षित आधारभूत संरचना का ब्यौरा औचित्य के साथ-साथ यदि कोई हो, सलंग्न करें।	
13	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
14	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
15	वर्ष के दौरान रिसाईक्लिंग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
16	वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
17	वर्ष के दौरान भूमि भराई स्थल को भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में)	
18	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा	
	सुविधा-I	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई प्रौद्योगिकी -	
	रजिस्ट्रेशन संख्या	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	
	सुविधा- II	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई क्षमता-	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	

19	गली में झाड़ू लगाने, सेकेन्डरी भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के संवय के द्वारा फैलाई गई मानव षक्ति का ब्यौरा दें।	
20	गली में झाड़ू लगाने भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपषिश्ट का निपटारा सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें।	
21	वित्तीय दवाब, यदि कोई हो, सहित इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को संक्षेप में वर्णन करें।	
22	क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, यदि हाँ (प्रतिलिपि सलंग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-	

राज कुमार भारती,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत केलाखेड़ा,
ऊधम सिंह नगर।

अकरम खान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत केलाखेड़ा,
ऊधम सिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/315–भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।